प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : S4230103731520102016	अनुमोदन दिनाँक : 05 Nov 2016

1.	**सोसायटी का नाम** सामान्य पिछडा अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** 14, पारीका, फेज़-2, चुना भट्टी, कोलार रोड 462042 **तहसील** Huzur **जिला** Bhopal **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 9977665366 **ईमेल आईडी** sapakscom@gmail.com
3.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगेः-**

1	संस्था के सदस्यों की नियोजन सम्बन्धी (सार्वजनिक/ निजी) एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहना एवं उनके समाधान के प्रयास करना।
2	संस्था के सदस्यों को उनके कत्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना एवं इस हेतु संवैधानिक उपचार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।
3	समान उद्देश्य वाले एवं इस संस्था के उद्देश्यों से सहमत अन्य संस्थाओं/संघों को सहयोग देना/लेना।
4	संस्था के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करना।
5	सर्व समाज के पिछडे, कमजोर एवं वंचित वर्ग को शिक्षित एवं जागृत करना।
6	सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु बनाए गए विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन सुनिष्चित कराना एवं ऐसे कानून बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि सभी वर्गो के सर्वागीण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हों।
7	भारतीय संविधान में सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु प्रदत्त विभिन्न प्रावधानों के तहत् नियम सम्मत कार्यवाही हेतु प्रजातांत्रिक एवं विधि सम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।
8	संस्था की जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों में मुहल्ला/ वार्ड स्तरीय शाखायें/ ईकाईयां गठित करना।
9	सभी समाजों के कल्याण एवं समरुप विकास का वातावरण तैयार करना।

4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्विष्ट की गई हैः-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	श्री एम.के. श्रीवास्तव	स्व. श्री बी.एल. श्रीवास्तव	सदस्य	एच 102, अरविंद विहार, बागमुगलिया, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	सेवानिवृत शासकीय कर्मी
2	श्री प्रवीण जोशी	स्व. श्री सी.डी. जोशी	सदस्य	52, सी.आई. एंक्लेव, चुनाभट्टी, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	व्यवसायी

3	श्री एम.एस. यादव	स्व. श्री जी.एस. यादव	संयुक्त सचिव	32, श्रीराम कालोनी, होशंगाबाद रोड, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	सेवानिवृत शासकीय कर्मी
4	श्री आर.एम.पी. सिंह	स्व- श्री कपिलदेव सिंह	कोषाध्यक्ष	1, कृष्णा हाउसिंग सोसायटीटी, कोलार रोड, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	सेवानिवृत शासकीय कर्मी
5	श्री सुधीर कालरा	स्व- श्री आर. एम. कालरा	सचिव	ए 34, जानकी नगर, चुनाभट्टी, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	सेवानिवृत शासकीय कर्मी
6	श्रीमती मोहिब अहमद	स्व- के इसरार अहमद	उपाध्यक्ष	62, पीएनबी कालोनी, ईदगाह हिल्स, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	सामाजिक कार्यकर्ता
7	श्री ललित शास्त्री	स्व. श्री अनंत मराल शास्त्री	अध्यक्ष	ई--7/26, चार इमली, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	वरिष्ठ पत्रकार

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्री एम.के. श्रीवास्तव , स्व. श्री बी.एल. श्रीवास्तव, एच 102, अरविंद विहार, बागमुगलिया, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
2	श्री प्रवीण जोशी , स्व. श्री सी.डी. जोशी, 52, सी.आई. एंक्लेव, चुनाभट्टी, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
3	श्री एम.एस. यादव , स्व. श्री जी.एस. यादव, 32, श्रीराम कालोनी, होशंगाबाद रोड, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
4	श्री आर.एम.पी. सिंह , स्व- श्री कपिलदेव सिंह, 1, कृष्णा हाउसिंग सोसायटीटी, कोलार रोड, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
5	श्री सुधीर कालरा , स्व- श्री आर. एम. कालरा, ए 34, जानकी नगर, चुनाभट्टी, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
6	श्रीमती मोहिब अहमद , स्व- के इसरार अहमद, 62, पीएनबी कालोनी, ईदगाह हिल्स, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
	श्री ललित शास्त्री , स्व. श्री अनंत मराल शास्त्री, ई--7/26, चार इमली, Huzur,	

7	Bhopal, Madhya Pradesh	

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक
SBIN000615914752110201675032

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Driving License

पहचान पत्र का क्रमांक
MP04R20150305331

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Driving License

पते का क्रमांक MP04R20150305331

Uploaded ID Proof
Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :-.....

साक्षी का नाम :- श्री लालजी तिवारी

साक्षी का पिता/पति:- श्री एम.पी. तिवारी

पूर्ण पता :- सी-21, प्रगति परिसर, डिपो चौराहा, भोपाल म.प्र.

Check The Document

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S42301037315 20102016
अनुमोदन दिनाँक : 05 Nov 2016

1.	सोसायटी का नाम सामान्य पिछडा अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 14, पारीका, फेज़-2, चुना भट्टी, कोलार रोड 462042 तहसील हुज़ूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र होगा।
4.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**

1	संस्था के सदस्यों की नियोजन सम्बन्धी (सार्वजनिक/ निजी) एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहना एवं उनके समाधान के प्रयास करना।
2	संस्था के सदस्यों को उनके कत्र्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना एवं इस हेतु संवैधानिक उपचार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।
3	समान उद्देश्य वाले एवं इस संस्था के उद्देश्यों से सहमत अन्य संस्थाओं/संघों को सहयोग देना/लेना ।
4	संस्था के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये आवश्यकतानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करना।
5	सर्व समाज के पिछडे, कमजोर एवं वंचित वर्ग को शिक्षित एवं जागृत करना।
6	सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु बनाए गए विभिन्न कानूनों का क्रियान्वयन सुनिष्चित कराना एवं ऐसे कानून बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि सभी वर्गो के सर्वागीण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हों।
7	भारतीय संविधान में सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु प्रदत्त विभिन्न प्रावधानों के तहत् नियम सम्मत कार्यवाही हेतु प्रजातांत्रिक एवं विधि सम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।
8	संस्था की जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों में मुहल्ला/ वार्ड स्तरीय शाखायें/ ईकाईयां गठित करना।
9	सभी समाजों के कल्याण एवं समरुप विकास का वातावरण तैयार करना।

5.	**सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:-**
	(अ) संरक्षक सदस्य:- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 0 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्य- जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 0 या अधिक देकर, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 0 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
	(स) साधारण सदस्य- जो व्यक्ति रूपये 0 माह रुपये 0 प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा

	व साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
	सम्माननीय सदस्य- संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6.	**सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7.	**सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो ।
8.	**सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	**संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-** 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	**(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव

	कराया जावेगा। **(ब)प्रबंधकारिणी सभा-** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। **(स) विशेष-** यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।
11.	**साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।
12.	**प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा। (1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2
13.	**प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।
14.	**प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना। (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

	(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
15.	**अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	**उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	**सचिव(मंत्री) के अधिकार-** (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 0 व्यय करने का अधिकार होगा।
18.	**संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	**कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	**बैंक खाता-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ओफिस में रहेगी, धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 0 रहेंगे।
21.	**पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।
22.	**संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधाव में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23.	**विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली

	संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।
हस्ताक्षर अध्यक्ष	हस्ताक्षर सचिव
हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष